फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **जयवीर सिंह** विपक्षी :– **राज्य**

किस्म मुकदमा :– 251 ए आरटीएक्ट पत्रावली संख्या :– **12/25 प्रार्थना पत्र**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 12.01.2026 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी स्वयं की खातेदारी की भूमि में जाने हेतु रास्ता चाहा गया था। जिसके संबंध में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का सनवाड मौके पर पहुंचे तब स्वयं प्रार्थी श्री जयवीर सिंह झाला द्वारा तहसीलदार के नाम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान में यह रास्ता मैं नही चाहता हूं। कृपया कार्यवाही समाप्त करवाई जावे। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी को वर्तमान में रास्ते की आवश्यकता नही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि जब स्वयं प्रार्थी को ही रास्ते की आवश्यकता नही है तथा प्रार्थी स्वयं ही प्रकरण को आगे नही चलाना चाहता है, तो ऐसे में प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता है। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested